न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 19/22 सन् 2022

RCMS NO-2022/ 243

बउनवानीः—विक्रम पुत्र रमेश आयु 14 वर्ष जाति गुर्जर निवासी खिदरपुर तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 185 निर्णय दिनांक 16.11.2021 वाके ग्राम खिदरपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री तोफिक मोहम्मद — वकील पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 12.10.2023

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 185 निर्णय दिनांक 16.11.2021 वाके ग्राम खिदरपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा विवादित नामा0 संख्या 185 वाके ग्राम खिदरपुर दिनांक 16.11.2021 को खातेदार अपीलान्ट के दादा भौरीलाल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का खोला गया है जिसमे अपीलान्ट विक्रम की आयु आधार कार्ड संख्या 2142 5054 0884 मे अंकित जन्म दिनांक 1.1.2008 के अनुसार 14 वर्ष होने के बावजूद भी अपीलान्ट को नाबिलग दर्ज नही किया है बल्कि अपीलान्ट को बालिग मानते हुए ग्राम खिदरपुर के खाता संख्या 36 व 42 की हाल जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम विक्रम कर दिया है। जबकि उक्त जमाबन्दी में विक्रय जरिये संरक्षक माता रामपति पत्नि रमेश दर्ज होना चाहिए था। किन्तु उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोर नही फ[illegible] उक्त संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर से रिर्पोट ली गयी है जिसमे [illegible] सवाईमाधोपुर द्वारा बताया कि पटवारी हल्का रामडी द्वारा सहवन से विक्रम [illegible] नामा0 दर्ज फैसल हो गया है जबकि मुताबिक आधार कार्ड से विक्रम [illegible] नाबालिग होना [illegible] है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम [illegible] 11.2022 को प्राप्त [illegible] अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस तहसीलदार सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अपीलान्ट के दादा भौरी लाल पुत्र रामचन्द्रा की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का भरा गया नामा0 185 दिनांक 16.11.2021 वाके ग्राम खिदरपुर तहसील सवाईमाधोपुर में पटवारी हल्का रामडी द्वारा सहवन से विक्रम बालिग दर्ज कर दिया गया है जबकि मुताबिक दस्तावेज विक्रम तत्समय नाबालिग था। अतः अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में विक्रम पुत्र रमेश नाबालिग जरिये संरक्षक माता रामपति पत्नि रमेश दर्ज होना चाहिए। अतः आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम विक्रम बालिग होने के कारण नामा0 संख्या 185 विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किया जाना चाहिए।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्ट की आयु 14 वर्ष होने के कारण आदेश जैर अपील में अपीलान्ट का नाम विक्रम पुत्र रमेश नाबालिग जरिये संरक्षक माता रामपति पत्नि रमेश गुर्जर के नाम से दर्ज फैसल होना चाहिए था जो नही किया गया है, जिसके कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को आयु संबंधी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के नाबालिग/बालिग होने की पुष्टि की जाकर पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner